प्ररूप 6 {नियम 13 (1) और 26 देखिए}

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन										
सेवा में हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, (3.5 से०मी० x 3.5 से०मी०), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान										
महोदय, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त निर्वाचन—क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए । निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं ।							वली			
I. आवेदक का ब्यौरा	नाम	410 1144 140		उपनाम	(यदि व	नोई है)				
1 जनवरी को आयु	वर्षः	मासः	f	लेंग (पु	रूष / स	त्री / अन	न्य)ः			
जन्म तिथि, यदि ज्ञात हैः	दिन:	मासः	ō	वर्षः						
जन्म का स्थानः	ग्राम / नगरः									
	जिलाः		₹	राज्य:						
*पिता / माता / पति का नाम	नाम		7	उपनाम	(यदि व	नोई है)				
II. मामूली तौर से निवास स्थान क	ा विवरण (पूरा पता)									
मकान / गृह संख्याः										
गली / क्षेत्र / परिक्षेत्र /										
मोहल्ला / सड़कः										
नगर / ग्रामः										
डाकघरः पिन कोड			को ड							
तहसील / तालुक / मंडल / थानाः										
जिलाः										-
III. निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान निर्वा	चक नामावली में पह									
	आवेदक के साथ सम्बंध	निर्वाचन–क्षेत्र की नामावली की भाग संख्या	उस भाग में संख्या	ों क्रम	निर्वाच	क की	फोटो पा	इचान-प	त्र संख्य	T
1.										
2.										

- $^{
 m t}$ उन संघ राज्यों क्षेत्रों जिनमें विधान सभा नहीं हैं और जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में ।
- # कृपया वर्ष उल्लिखित करें जैसे 2011, 2012 आदि ।
- * अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

IV. घोषणा	
में घोष	गणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :–
	त का नागरिक हूँ ;
` /	
' '	, , ,
	hसी अन्य निर्वाचन—क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है ;
(iv) *इस	या किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है
	<u>या</u>
पहले	नामनिर्वाचन–क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया गया होगा और यदि ऐसा है तो मैं करता हूँ कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए ।
प्राथन	करता हूं कि उस उस निपायक नानापला स हटा दिया जाए ।
पूरा पता (मामृ	ली तौर से निवास का पूर्व स्थान) निर्वाचक फोटो पहचान—पत्र संख्या (यदि पहले से ही जारी है)
	जारी करने की तारीख
	जारा करने का ताराख
स्थानः तारीखः कृपया अपना मे	आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान बाईल नम्बर / ई–मेल आई.डी. दें (ऐच्छिक)————————————————————————————————————
——— जिसव दंडनी	व्यक्ति ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या हे सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन य होगा। जल्प को काट दें ।
	की गई कार्रवाई के ब्यौरे
	(निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है)
	भीमती / कुमारी हे के निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु प्ररूप 6 में दिये गये वीकार कर लिया गया है / *नामंजूर कर दिया गया है।
	{नियम 18 * $/$ 20 * $/$ 26(4) $^{ m f}$ के अधीन या उसके अनुसरण में $} या *नामंजूर करने {नियम 17 /20^* /26(4)^{ m f} के अधीन रण में} के लिए विस्तृत कारणः$
T011-1-	
स्थानः	
टिनांकः	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मुहर)
दिनांकः इ	
	क नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान ।
* अनुपर्	वुक्त विकल्प को काट दें ।

प्ररूप	6	क्रमश

यह पृष्ठ इतना सघन होना चाहिए कि यह डाक द्वारा भेजे जाने पर विकृत / क्षतिग्रस्त न हो

कृत कार्यवाही की सूचना (इस पृष्ठ का भाग−II निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जायेगा एवं आवेदक द्वारा भाग−I में दर्शाए गये पते पर आवेदक को भेजा जायेगा)

**(पूरा पता) #कान / गृह संख्या : गली / क्षेत्र / परिक्षेत्र / मोहल्ला / सड़कः नगर / ग्राम : डाक घर : तहसील / तालुक / : #ण्डल / थाना जिला : **आवेदक द्वारा भरा जायेगा । ###################################	14 10 10	one en e
स्वाम-		प्रथम मोड
प्रकार - 6 पर **श्री / श्रीमती / कुमारी		
प्रकाप - 6 पर **श्री / श्रीमती / कुमारी		भाग—।
**(पूरा पता) मकान / गृह संख्या : गती / क्षेत्र / परिकेत / मोहल्ला / सड़कः नगर / ग्राम : जाह घर :		समय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा डाक टिकट चिपकाया जाए
स्कान / गृह संख्या : गृह संख्या	प्ररूप–६ पर **श्री /श्रीमती /कुमारी	का आवेदन पत्र
गति शेंत्र / परिक्षेत्र / में हल्ला / सड़कः	(%)	
नगर प्राप्त : पिन कोड :		
पिन कोड : पिन कोड : पिन कोड :		
तहसील / तालुक / :	•	
प्राप्त प्		पिन कोड :
**आवेदक द्वारा भरा जायेगा	<u> </u>	
**श्री देव हारा भरा जायेगा ।		
हितीय मोड़ भाग- (क) स्वीकृत कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी		
भग-॥ (क) स्वीकृत कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कृमारी		
(क) स्वीकृत कर लिया गया है और श्री / श्रीमती / कुमारी		य मोड़
लिया गया है। (ख) कारण से अस्वीकृत किया गया है। दिनांक		
लिया गया है। (ख) कारण से अस्वीकृत किया गया है। दिनांक	(क) स्वीकृत कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुम	गरीका नाम विधान सभा
(ख) कारण से अस्वीकृत किया गया है। दिनांक	निर्वाचन क्षेत्रकी भाग	। संख्यापर पंजीकृत कर
विनांक :		
(पता)	(國)	कारण सं अस्वीकृत किया गया है।
(पता)	दिनांक	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
**श्री / श्रीमती / कुमारी		· ·
**श्री / श्रीमती / कुमारी		
**श्री / श्रीमती / कुमारी		छिद्रण
**पता से प्ररूप ६ में आवेदन प्राप्त किया । दिनांकः निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	आवे	दन की पावती
**पता से प्ररूप ६ में आवेदन प्राप्त किया । दिनांकः निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	**.	
दिनांकः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर (पता)	**पता	
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर (पता)(से प्ररूप ६ में आवेदन प्राप्त किया ।	
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर (पता)(दिनांक:	
		की ओर से आवेदन प्राप्त करने
* * आवेदक द्वारा भरा जाए ।		(पता)
	* * आवेदक द्वारा भरा जाए ।	

आवेदन प्ररूप—6 भरने के लिए दिशा—निर्देश सामान्य अनुदेश

प्ररूप-6 कौन दाखिल कर सकता है

- 2. किसी निर्वाचन—क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत वह निर्वाचक जिसका मामूली तौर पर निवास स्थान अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है।

प्ररूप-6 कब दाखिल किया जा सकता है

- 1. निर्वाचन—क्षेत्र के निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् आवेदन दाखिल किया जा सकता है । आवेदन, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर ही दाखिल किया जाना होता है । जब पुनरीक्षण कार्यक्रम की उद्घोषणा होती है, तब उपर्युक्त अविध के विषय में व्यापक प्रचार किया जाता है ।
- 2. आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है ।
- 3. नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी नहीं रहने पर भी वर्ष में कभी भी दाखिल किया जा सकता है । गैर-पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन दो प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए ।

प्ररूप-6 कहां दाखिल किया जाए

- 1. पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन उन अभिहित स्थानों (प्रायः मतदान केन्द्र स्थलों पर), जहां प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है, के साथ—साथ निर्वाचन—क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल किया जा सकता है।
- 2. वर्ष की अन्य अवधि के दौरान जब पुनरीक्षण का कार्य नहीं चल रहा हो, तब आवेदन केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास ही दाखिल किया जा सकता है ।

प्ररूप-6 कैसे भरें

1. आवेदन उस निर्वाचन—क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जहां आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं । खाली स्थान में निर्वाचन—क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

2. नाम (दस्तावेजी साक्ष्य के साथ)

नाम, जैसा कि उसे निर्वाचक नामावली तथा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.) में होना चाहिए, उल्लिखित किया जाना चाहिए । उपनाम को छोड़कर पूरा नाम पहले खाने में लिखा जाना चाहिए तथा उपनाम दूसरे खाने में लिखा जाना चाहिए । आपका उपनाम नहीं होने की दशा में केवल दिया गया नाम ही लिखें । ऐसे मामले, जहां जाति के नाम का उल्लेख निर्वाचक के नाम या उपनाम के अंश के रूप में प्रयुक्त है को छोड़कर, अन्यत्र नहीं किया जाना चाहिए । सम्मान सूचक पदिवयों जैसे श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित इत्यादि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए ।

3. उम्र (दस्तावेजी साक्ष्य के साथ)

उस वर्ष की 1 जनवरी, जिसके संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है, को आवेदक की उम्र अठारह वर्ष या अधिक होनी चाहिए । उम्र वर्ष और महीनों में दर्शायी जानी चाहिए ।

उदाहरण के रूप में वह व्यक्ति जिसका जन्म 01.01.1991 को या उसके पहले हुआ है, 01.01.2009 के संदर्भ में पुनरीक्षित निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराए जाने का पात्र होगा । जिस व्यक्ति का जन्म 02.01.1991 या उसके बाद तथा 01.01.1992 तक हुआ है, वह 01.01.2010 के संदर्भ में होने वाले पुनरीक्षण के संदर्भ में नाम सम्मिलन के लिए पात्र होगा ।

4. लिंग

दिए गए स्थान में अपने लिंग का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें, जैसे कि पुरूष / महिला । यदि आवेदक पुरूष या महिला का उल्लेख करना नहीं चाहते तो वे अपने लिंग को "अन्य" लिख सकते हैं।

5. जन्म तिथि (दस्तावेजी साक्ष्य के साथ)

जन्म तिथि को दिनांक / माह / वर्ष इस क्रम में निर्धारित स्थान में अंकों में भरें। जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न करें:--

- (i) नगर पालिका प्राधिकारियों या जिला निबंधक, जन्म व मृत्यु पंजीकरण के कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण–पत्र या बैप्टीजम प्रमाण–पत्र : या
- (ii) आवेदक द्वारा दाखिला लिए गए अंतिम (सरकारी / मान्यता प्राप्त) विद्यालय या अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त जन्म प्रमाण-पत्र : या
- (iii) यदि व्यक्ति ने दसवीं कक्षा या इससे अधिक उत्तीर्ण की हो, तो उसे दसवीं कक्षा की अंकतालिका की प्रतिलिपि देनी चाहिए यदि उसमें साक्ष्य के रूप में जन्म तिथि अन्तर्विष्ट की गई हो, या
- (iv) आठवीं कक्षा की अंकतालिका यदि उसमें जन्म तिथि अन्तर्विष्ट हो, या
- (v) पांचवीं कक्षा की अंकतालिका यदि उसमें जन्म तिथि अन्तर्विष्ट हो, या
- (vi) यदि व्यक्ति दसवी कक्षा तक शिक्षित नहीं है तो उसके माता —िपता द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध—1 पर घोषणा की जानी है (उन मामलों में जहाँ आयु के साक्ष्य के रूप में पैतृक घोषणा की जाती है, आवेदक को सत्यापन हेतु बूथ लेवल अधिकारी / निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होना होगा।

(vii) यदि व्यक्ति दसवी कक्षा तक शिक्षित न हो एवं दोनों माता–िपता जीवित न हो, तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान / सरपंच या सम्बन्धित नगर निगम / नगर पालिका के सदस्य द्वारा जारी किया गया उसकी आयु का प्रमाण–पत्र दिया जाए।

टिप्पणी:— आयु सम्बन्धी दस्तावेजी साक्ष्य केवल उन मामलों में ही आवश्यक होंगे जहाँ आवेदक की आयु 18 और 21 वर्षों के मध्य हो । अन्य सभी मामलों में आवेदक के द्वारा अपनी आयु के सम्बन्ध में की गई घोषणा, आयु साक्ष्य के रूप में ली जायेगी ।

6. जन्म स्थान

जन्म स्थान भारत में होने की दशा में, कृपया स्थान का नाम जैसे ग्राम / शहर, जिला, राज्य का उल्लेख करें ।

7. परिवार के अन्य सदस्य का नामः

अविवाहित महिला आवेदक के मामले में पिता/माता के नाम का उल्लेख किया जाए । विवाहित महिला आवेदक के मामले में पित के नाम का उल्लेख किया जाए । इस स्तंभ से अनुपयुक्त विकल्पों को काट दें ।

8. वर्तमान मामूली तौर से निवास का स्थान

दिए गए स्थान में पिन कोड सहित उस जगह का पूरा डाक-पता उल्लिखित करें, जहां आप मामूली तौर से निवास करते हैं तथा पंजीकरण कराना चाहते हैं ।

वर्तमान मामूली तौर से निवास स्थान के लिये निम्नलिखित साक्ष्य संलग्न करें:

- (i) बैंक / किसान / डाक घर का चालू पासबुक, या
- (ii) आवेदक का राशन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / आयकर रिटर्न या निर्धारण आदेश ; या
- (iii) आवेदक या उनके निकट संबंधी जैसे माता-पिता आदि के नाम से उस पते पर अद्यतन जल/टेलीफोन/ बिजली/गैस कनेक्शन बिल ; या
- (iv) डाक विभाग द्वारा दिए गए पते पर प्राप्त की गई / सुपुर्द की गई डाक ।

टिप्पणी:— बेघर व्यक्तियों के मामले में बूथ लेवल अधिकारी को अभिनिश्चत करने हेतु प्ररूप 6 में दिये गए पते पर रात्रि में जाना होगा कि बेघर व्यक्ति स्थान पर वास्तव में सोता है जैसािक उसने प्ररूप 6 में अपना पता दिया है। यदि बूथ लेवल अधिकारी सत्यापन करने में समर्थ हो जाता है कि बेघर व्यक्ति उस स्थान में वास्तव में सोता है, तो आवासीय स्थान के दस्तावेजी साक्ष्य लेने आवश्यक नहीं होंगे। बूथ लेवल अधिकारी को ऐसे सत्यापन करने हेतु एक रात से अधिक बार जाना चाहिए।

9. निर्वाचक नामावली में पहले से सम्मिलित परिवार के सदस्यों के ब्यौरे कृपया निकट पारिवारिक संबंधियों जैसे पिता / माता / भाई / बहन / पित / पत्नी का नाम व अन्य ब्यौरे उल्लिखित करें जिनको वर्तमान निर्वाचक नामावली में शामिल कर लिया गया है। किसी अन्य सम्बंधी जैसे चाचा, चाची, चचेरे भाई / बहन आदि के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना है।

10. घोषणा

कृपया उस तिथि को इंगित करें, जब से आप दिए गए पते पर निवास कर रहे हैं । यदि निश्चित तिथि, ज्ञात न हो तो महीना व वर्ष का उल्लेख करें ।

यदि आपका नाम पहले ही किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा चुका है, तो कृपया पिन कोड के साथ अपना पूर्व का पूर्ण पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें ।

यदि आपके पास पहले से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र है, तो कृपया पहचान पत्र का क्रमांक (सामने की ओर मुद्रित) एवं उसके जारी होने की तिथि (पीछे की ओर मुद्रित) आवेदन पत्र के प्रदत्त स्थान में उल्लिखित करें। कृपया पहचान पत्र के दोनो तरफ की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करें।

विविध

कई स्थानों पर निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की फोटो भी मुद्रित है । आपके पास प्रारूप के साथ एक पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो जमा करने का विकल्प है। यदि अपेक्षित हुआ, तो इस फोटोग्राफ का उपयोग निर्वाचक नामावली पर आपकी छवि मुद्रित करने तथा फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिये किया जाएगा।

कृपया सूचना तथा पावती के भाग में अपना पूरा नाम एवं पता भी लिखें ।

कृपया प्ररूप में अपना मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल आई.डी. दें, जोकि ऐच्छिक है, क्योंकि यह, यदि दिया गया हो, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जब भी आवश्यक हो आवेदक के साथ आगामी पत्र—व्यवहार / सम्पर्क हेतु प्रयोग किया जा सकता है।